भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 693

बुधवार, 07 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

व्यापार करने में आसानी

693. श्री परबतभाई सवाभाई पटेलः
श्री कनकमल कटाराः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार ने देश में व्यापार कार्य को सुगम बनाने के लिए क्या प्रमुख उपाय किए हैं; और

(ख) उक्त उपायों ने भारत में व्यापार करने में आसानी में सुधार में किस प्रकार योगदान दिया?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) और (ख):उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत पहलों के समन्वय के लिए नोडल विभाग है, जिसका उद्देश्य अनुकूल व्यावसायिक वातावरण तैयार करना है। 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के लिए डीपीआईआईटी द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:

विश्व बैंक द्वारा बंद किए जाने से पहले अक्तूबर, 2019 में प्रकाशित विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर), 2020 में भारत 63 वें स्थान पर है। डीबीआर में भारत का स्थान वर्ष 2014 में 142 वें से बढ़कर वर्ष 2019 में 63 वें पर पहुंच गया। इस प्रकार इसमें 5 वर्षों की अवधि में 79 रैंकों का सुधार दर्ज किया गया।

डीपीआईआईटी व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) के गतिशील सुधार कार्यक्रम की अगुवाई कर रहा है, जिसमें देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का मूल्यांकन निर्धारित मानदंडों पर उनके द्वारा कार्यान्वित सुधारों के आधार पर किया जाता है। सुधारों का फोकस मौजूदा विनियमों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा गैर-जरूरी आवश्यकताओं एवं प्रक्रियाओं को समाप्त करने पर रहा है। बीआरएपी के अंतर्गत सूचना विजार्ड, सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन बिल्डिंग अनुमोदन सिस्टम, निरीक्षण सुधार, श्रम सुधार आदि जैसे सुधार क्षेत्र शामिल हैं। बीआरएपी कार्यक्रम ने नॉलेज बेस्ड तैयार करने के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच अपने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने की दिशा में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने में भी मदद की है।

डीपीआईआईटी, नागरिकों और व्यावसायिक कार्यकलापों पर अनुपालन बोझ को कम करने की पहल के लिए मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय भी करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, मंत्रालयों/राज्यों/ संघ राज्य

क्षेत्रों में गवर्नमेंट-टु-बिजनेस और नागरिक इंटरफेस को सरल, तर्कसंगत, डिजिटाइज़ और गैर-अपराधीकृत करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग में सुधार करना है।

इस पहल के प्रमुख फोकस क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

(i) आवेदन, नवीनीकरण, निरीक्षण, रिकॉर्ड फाइल करने आदि से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाना।

(ii) गैर-जरूरी कानूनों को निरस्त, संशोधित या समाप्त कर कानूनी प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना।

(iii) ऑनलाइन इंटरफेस बनाकर सरकारी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना और

(iv) गौण, तकनीकी या प्रक्रियागत चूकों का गैर-अपराधीकरण करना।

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 लोकसभा में 27 जुलाई, 2023 को और राज्य सभा में 2 अगस्त, 2023 को पारित किया गया था। राष्ट्रपति की सहमति 11 अगस्त, 2023 को प्राप्त हुई। इस अधिनियम ने 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 42 केन्द्रीय अधिनियमों के 183 उपबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया।

अधिनियम ने आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने और यह सुनिश्चित करने में मदद की है कि नागरिक, व्यवसाय और सरकारी विभाग मामूली, तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूक के लिए कारावास के डर के बिना काम करें। अधिनियम ने कानूनों को तर्कसंगत बनाने, बाधाओं को समाप्त करने और व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त किया है।

*****